राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 77/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नन्द किशोर कुमावत पुत्र गोवर्धन कुमावत निवासी फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 07-10.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां के विरूद्ध दिनांक 09.09.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 59 एफ 195011 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.08.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां को प्रेषित किया, किन्तु सूचना पाप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 118 दिनांक 06.10.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.08.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी प्रकार का आवेदन उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां को प्रेषित आवेदन प्रत्यर्थी/कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां को प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07-10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा